न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 73/23

1. ताराचन्द पुत्र टीकमचन्द जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. आकाश पुत्र टीकमचन्द जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. घीसाराम पुत्र सुण्डा जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. महेन्द्रकुमार पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
3. पुनमदेवी पत्नि राजूराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. नन्दलाल पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. सहीराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. सांवरमल पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. केशर पत्नि शिवकुमार जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. प्रेमा पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. किशनाराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. तिलोकाराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
12. सीताराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
13. हीराराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
14. अनिता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
15. झमकु पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
16. बिमला पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
17. मन्जु पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
18. लिछमा पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
19. समादेवी पत्नि स्व. अमराराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
20. नाबालिग रामदेव पुत्र अमराराम आयु 11 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका माता समादेवी पत्नि स्व. अमराराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
21. नाबालिग हंसराज पुत्र अमराराम आयु 09 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका माता समादेवी पत्नि स्व. अमराराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
22. नाबालिग आरती पुत्री अमराराम आयु 13 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका माता समादेवी पत्नि स्व. अमराराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
23. नाबालिग जमना पुत्री अमराराम आयु 15 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका माता समादेवी पत्नि स्व. अमराराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
24. नाबालिग सरीता पुत्री अमराराम आयु 17 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका माता समादेवी पत्नि स्व. अमराराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
25. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांकः– 6-3-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 1237 एक हजार दो सो सेंतीस तादादी 14.1640 चवदह दशमलव एक छः चार जीरो हेक्टेयर, खसरा संख्या 1237/1815 एक हजार दो सो सेंतीस बट्टा एक हजार आठ सो पन्द्रह तादादी 6.3232 छः दशमलव तीन दो तीन दो हेक्टेयर, खसरा संख्या 1238 एक हजार दो सो अडतीस तादादी 16.5794 सोलह दशमलव पांच सात नो चार हेक्टेयर कुल किता 3 तीन कुल रकबा 37.0666 सेंतीस दशमलव जीरो छः छः छः हेक्टेयर वाके रोही ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रत्येक वादी 41731/263600 इकतालीस हजार सात सो ईकतीस बट्टा दो लाख तरेसठ हजार छः सौ हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 15.11.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 24 चोबीस की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 25 पच्चीस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार शिवकुमार का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी जायज वारिस एकमात्र उनकी पत्नि केशर है जो वाद में पक्षकार संयोजित है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस बताया कि वादगत खसरा संख्या 1237/1815 तादादी 6.3232 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण केवल वादीगण के कब्जा काश्त में है। शेष भूमि सभी खातेदारों के संयुक्त कब्जा काश्त में है। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बीदासर खसरा संख्या 1237, 1237/1815, 1238 तादादी कमशः 14.1640, 6.3232, 16.5794 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 37.0666 हेक्टेयर भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण का 41731/131800 हिस्सा है। खसरा संख्या 1237/1815 तादादी 6.3232 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण वादीगण के हिस्सा पांति में है। शेष भूमि सभी खातेदारों के संयुक्त कब्जा काश्त में है। इस कारण तहसीलदार बीदासर से केवल खसरा संख्या 1237/1815 तादादी 6.3232 हेक्टेयर भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 6-3-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
ताराचन्द बनाम घीसाराम आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 73/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बीदासर खसरा संख्या 1237, 1237/1815, 1238 तादादी कमशः 14.1640, 6.3232, 16.5794 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 37.0666 हेक्टेयर भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण का 41731/131800 हिस्सा है। खसरा संख्या 1237/1815 तादादी 6.3232 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण वादीगण के हिस्सा पांति में है। शेष भूमि सभी खातेदारों के संयुक्त कब्जा काश्त में है। इस कारण तहसीलदार बीदासर से केवल खसरा संख्या 1237/1815 तादादी 6.3232 हेक्टेयर भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज................मुबलिग.....................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह...............

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.......~.......को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....6-3-25.......

दस्तखत......उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ......बीदासर (चूरू)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)